UPSR010003632026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008**

अग्रिम जमानत आवेदन नं०-126/2026

हरेन्द्र सिंह उम्र 39 वर्ष पुत्र उपदेश कुमार,

निवासी–भरौल, थाना–अरावं सिरसागंज, जनपद–फिरोजाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

राज्य उ0 प्र0 .....अभियोगी

अ0 सं0–255/2024
धारा–419, 420, 467, 468, 471,
409 भा0दं0सं0
थाना–मल्हीपुर, जिला–श्रावस्ती

दिनांक 11.03.2026

निस्तारण द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन

1– वर्तमान द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **हरेन्द्र सिंह** की ओर से अपराध संख्या 255/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 409 भा0दं0सं0, थाना मल्हीपुर, जिला श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है। प्रथम जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः–वादी मुकदमा/खण्ड शिक्षा अधिकारी जमुनहा द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना मल्हीपुर, जनपद श्रावस्ती को दिनांक 12.12.2024 को इस आशय की तहरीर दिया कि सोनू सविता स0 अ0, प्रा0 वि0 लालबोझा, दर्वेशगांव, वि0 ख0 जमुनहा, जनपद श्रावस्ती को फर्जी/फेक शिक्षक होने की संदिग्धता के आधार पर उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 में निहित सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अवसर प्रदान करते हुए अपने मूल अभिलेख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रावस्ती के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था परन्तु वे न तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रावस्ती के कार्यालय में उपस्थित हुए और न अभिलेख ही प्रस्तुत किये गये। श्री सोनू सविता स0 अ0 प्रा0वि0 लालबोझा दर्वेशगांव वि0 ख0 जमुनहा जनपद श्रावस्ती माह सितम्बर, 2020 से लगातार विद्यालय से अनुपस्थित चल रहे हैं जिससे प्रतीत होता है कि श्री सोनू सविता, स0 अ0 प्रा0वि0 लालबोझा, दर्वेशगांव, वि0 ख0 जमुनहा, जनपद श्रावस्ती एक फेक/फर्जी शिक्षक हैं। अस्तु सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.03.11 14:38:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी। मामले की विवेचना लम्बित है।

3– अग्रिम जमानत आवेदन के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन का केस बिल्कुल गलत है। आवेदक/अभियुक्त न तो कभी शिक्षक था और न ही शिक्षक बनने की अर्हता रखता है और न ही कभी वेतन ही प्राप्त किया है। आवेदक/अभियुक्त को किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त एक शिक्षित किसान है और घर पर रहकर खेती किसानी करता है। आवेदक/अभियुक्त न कभी जनपद श्रावस्ती में आया है और न ही किसी विद्यालय में शिक्षक पद पर कार्य किया है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई भी जालसाज व फ्राड करके शिक्षक बनने की कोशिश नहीं किया है और न ही आवेदक/अभियुक्त की अर्हता ही शिक्षक बनने की है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है लेकिन पुलिस का कहना है कि आवेदक/अभियुक्त ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है। आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

4– राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा सोनू सविता के नाम से कूटरचित दस्तावेजों के आधार राजकीय शिक्षक की नौकरी प्राप्त की गयी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा केस डायरी एवं अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6– अ0 सं0 255/2024, थाना मल्हीपुर से सम्बन्धित केस डायरी तथा सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आवेदक/अभियुक्त हरेन्द्र सिंह पुत्र उपदेश कुमार निवासी भारौल थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद द्वारा भर्ती के समय कूटरचित अभिलेख शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, टी ई टी 2011 प्राथमिक स्तर अंक प्रमाणपत्र बनाकर/बनवाकर, कूटरचित अभिलेखों का प्रयोग कर छद्म नाम पता सोनू सविता पुत्र राम भरोसी सविता पता ग्राम व पोस्ट राधानगर तहसील हरदोई जनपद हरदोई के नाम से बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी प्राप्त की गयी। सत्यापन के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र सिंह पुत्र उपदेश कुमार

निवासी भारौल थाना अरांव जनपद फिरोजाबाद का नाम प्रकाश में लाया गया है। आवेदक/अभियुक्त कूटरचित दस्तावेज के सहारे सोनू सविता के नाम पर शिक्षक की नौकरी कर रहे थे जो एक गम्भीर आर्थिक एवं सामाजिक अपराध है। अतः अपराध की प्रकृति, अपराध हेतु अधिकतम दण्ड तथा अपराध में आवेदक/अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त का द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **हरेन्द्र सिंह** का द्वितीय अग्रिम जमानत अपराध संख्या 255/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 409, 471 भा0दं0सं0, थाना मल्हीपुर, जनपद श्रावस्ती के मामले में निरस्त किया जाता है।

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 11.03.2026